न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/398

1. मोत्या बाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 श्री गोपाल लाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम मारवाडो का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामकरण आयु 55 वर्ष आत्मज स्व0 श्री गोपाल लाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम मारवाडो का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. प्रेमलाल आयु 50 वर्ष आत्मज स्व0 श्री गोपाल लाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम मारवाडो का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सरजू आयु 62 वर्ष पुत्री स्व0 श्री गोपाल लाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम मारवाडो का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. मनभर आयु 52 वर्ष पुत्री स्व0 श्री गोपाल लाल जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम मारवाडो का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. सोराज आयु 50 वर्ष आत्मज खाना जाति मेघवाल निवासी मारवाडों का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. शोराम आयु 55 वर्ष आत्मज खाना जाति मेघवाल निवासी मारवाडों का झोंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टोकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल किता 13 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । आबादी से भूमि सिवायचक खसरा नम्बर 247 व 940 में हेाते हुए खसरा नम्बर 939 की दक्षिणी सीमा पर होकर अपने शामलाती चाह पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ था और उक्त रास्ते से सभी सहखातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने –अपने हिस्से की भूमि पर आ जाकर काश्त करते थे । अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 939 की दक्षिणी सीमा पर चाह पर जाने हेतु बने हुए रास्ते को हांककर खेत में मिला लिया तथा खसरा नम्बर 937 पाल को भी हांक दिया तथा सिवायचक खसरा नम्बर 940 पर बने हुए रास्ते को भी नष्ट कर दिया । इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा शामलाती कुए पर जाने हेतु बने पुराने रास्ते को नष्ट कर दिया । उक्त भूमि शामलाती खाते की भूमि है जिसमें प्रत्येक खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार है उक्त भूमि का अभी सहखातेदारों के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण भूमि का विभाजन कराये बिना संयुक्त खाते के खसरा नम्बरान पर सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर तार फेसिंग कर रहे हैं तथा शामलाती चाह के रास्ते को भी तार फेसिंग के अन्दर लेकर रास्ते पर आवाजाही बन्द करने पर आमादा हैं । अप्रार्थीगण को भूमि का विभाजन कराये बिना पार्टिकूलर खसरा नम्बर पर तार फेसिंग करने व सीमेन्ट का पिल्लर गाडने का कोई हक व अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराये बिना पार्टिकूलर खसरा नम्बरों पर सीमेन्ट के पिल्लर नहीं गाडें तार फेसिंग नहीं करने तथा प्रार्थीगण की भूमि, रास्ते पर पिल्लर नहीं गाडें व शामलाती चाह के रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें तथा भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने अथवा मंजूर करने के बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया है केवल अंतरिम स्थगन को अपास्त किया है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते की भूमि है । रेस्पोडेन्ट द्वारा शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 939 की उत्तरी व खसरा नम्बर 924 की पश्चिमी सीमा पर पिल्लर गाढ कर तार फेसिंग कर दी है । संयुक्त खाते की भूमि पर अप्रार्थीगण को तार फेसिंग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2019 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट प्रार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । शामलाती खाते की खसरा नम्बर 939 की उत्तरी सीमा पर शामलाती चाह खसरा नम्बर 938 पर आने–जाने हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट करते आ रहे हैं । लेकिन अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर तार फेसिंग कर कुए के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा हैं । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था एवं एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक इंच पर समस्त सहखातेदारों को समान हक एवं समान अधिकार प्राप्त होता है । रेस्पोडेन्टगण को चाह का रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है । यदि रेस्पोडेन्टगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो अपीलान्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी । इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि यदि एक सहखातेदार दूसरे सह खातेदार के उपयोग एवं उपभोग में अवरोध पैदा करता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । जब तक आराजी का बंटवारा नहीं हो जाता रेस्पोडेन्ट को तार फेसिंग का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 615 में पक्षकारों के संयुक्त खाते में कुल 13 किता की कुल 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज है इसमें खसरा नम्बर 939 और 924 शामिल है। इसके अलावा पत्रावली पर नक्शा ट्रेस की प्रतियॉ भी शामिल हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण ने जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया गया है कि भूमि का बंटवारा पूर्वजों के समय से हो गया है इस कारण प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है ।

9. पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है और संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है । सामान्यतया संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है परन्तु यदि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के संयुक्त खाते की आराजी के उपयोग एवं उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न करता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है और यदि संयुक्त खाते की आराजी में होकर निकलने में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण अपीलान्ट को रोका तो अपीलान्टगण को अपूर्णीय क्षति हो सकती है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2019 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी जो कि संयुक्त खाते में दर्ज है उसका बंटवारा करवाये बिना शामलाती चाह के रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें और प्रार्थीगण अपीलान्ट के भूमि के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

11. निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/1/20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा